कार्यालय कमाण्डेन्ट, मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा जिला–उदयपुर (राजस्थान)

क्रमांक : न–5 (2) भील–फोर्स / कानि. भर्ती / 2025 / 196 दिनांक :– 09-01-2026

–: : आदेश : :–

श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर द्वारा कानि. भर्ती वर्ष–2025 हेतु प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक न–5( ) पु0फो0 / कानि. भर्ती–25 / 2024 / 1360 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक न–5 (03)पु.फो. / कानि. भर्ती–25 / 2025 / 1535 दिनांक 26.04.2025 के अनुसार एम.बी.सी. खेरवाडा में कानि. भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 हेतु कानि. (सामान्य) के कुल 98 (सामान्य–16, एससी–00 एसटी–82) रिक्त पदों की पूर्ति के लिये राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 23 (क) में निहित प्रावधानानुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक न–5(17) पु.फो. / कानि. भर्ती–25 / 2025 / 5886 दिनांक 03.12.2025 के द्वारा गठित बोर्ड द्वारा पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश 07 / 2025 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक 13.09.2025 व 14.09.2025 को आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के कार्यालय पत्र क्रमांक न–5(64)पु.फो. / कानि.भर्ती / 2025 / 5606 दिनांक 18.11.2025 द्वारा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों का श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक न–5(14)पु.फो. / कानि.भर्ती–2025 / 5780 दिनांक 29.11.2025 में अंकित निर्देशानुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर (अध्यक्ष चयन मण्डल) की अध्यक्षता में शारीरिक दक्षता / माप–तौल एवं चयन की अग्रिम कार्यवाही दिनांक 10.12.2025 को प्रातः 06:00 बजे से (महाराणा भोपाल स्टेडियम, पहाडी बस स्टेण्ड चैतक सर्कल उदयपुर) में आयोजित की गई। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 7929–30 व 7931–32 दिनांक 10.12.2025 द्वारा एम.बी.सी. खेरवाडा की कानि. (सामान्य / चालक) भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों की प्रोसीडिंग कार्यवाही एवं चयन सूचियां तैयार कर पुलिस मुख्यालय भिजवाई गई। जिसका उप महानिरीक्षक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक न–5(64)पु.फो. / कानि. भर्ती–25 / 2025 / 6171 दिनांक 19.12.2025 द्वारा अनुमोदन किया जाकर चयनित अभ्यर्थियों की समस्त औपचारिकता (यथा–स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं अन्य विशेष योग्यता प्रमाण–पत्रों) की गहन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त योग्य पाये जाने पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 एवं पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या 07 / 2025 में निहित प्रावधानानुसार प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में चयनित अभ्यर्थियों की समस्त औपचारिकताएं (यथा–स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं अन्य विशेष योग्यता प्रमाण–पत्रों) के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् कुल चयनित 96 अभ्यर्थियों में से 89 अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश पूर्व में जारी किया गया था, 06 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होकर उनके चेहरे से सत्यापन होने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 27–28 दिनांक 01.01.2026 एवं 108–10 दिनांक 04.01.2026 के द्वारा नियुक्ति के सबंध में मार्गदर्शन हेतु पुलिस मुख्यालय पत्राचार किया गया जिसके उपरान्त श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक न–5 (2)पु.फो. / कानि.भर्ती–25 / 2026 / 73 दिनांक 06.01.2026 के निर्देशानुसार उक्त 06 अभ्यर्थी योग्य पाये जाने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कानिस्टेबल सामान्य (टीएसपी) के पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक स–7(2)डी.ओ.पी. / ए–।। / 05 दिनांक 20.01.2006 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (एफ.डी) नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 की अनुपालना में राजस्थान सिविल सेवा (रिवाईज्ड पे)रूल्स 2017 के अन्तर्गत नियम 16 शिड्यूल–iV के अनुसरण में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रावधानानुसार कानिस्टेबल (सामान्य) के पद पर राशि 14600 / –रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) पर बटालियन मुख्यालय खेरवाडा में ड्यूटी ज्योईन करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की जाकर बटालियन के रिक्त बैल्ट नम्बर आवंटित किये जाते हैं। परिवीक्षाकाल में इन्हें किसी भी प्रकार का विशेष वेतन एवं अन्य भत्तें इत्यादि देय नहीं होंगे। परिवीक्षाकाल अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर

स्थाईकरण दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (रिवाईज्ड पे) रूल्स 2017 के अन्तर्गत शिड्यूल–I पार्ट (बी) रूल नम्बर–5 (Vi) एवं (Vii) पे–मेट्रिक्स के लेवल एल–5 सैल–1 के अनुसार मूल वेतन 20800/–रूपये एवं अन्य वेतन भत्ते नियमानुसार देय होगें। इन्हें एक वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश देय नहीं होगें। परीवीक्षाकाल में महिला प्रशिक्षु को नियमानुसार मातृत्व अवकाश एवं पुरूष प्रशिक्षु को पितृत्व अवकाश देय होगा। नियुक्ति प्रदान किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी दिनांक से 12.01.2026 तक बटालियन मुख्यालय खेरवाडा अपनी उपस्थिति देना आवश्यक होगा। परिवीक्षाकाल अवधि में इनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता हैं। तो इन्हें राज्य सेवा से पृथक (डिस्चार्ज) कर दिया जावेगा।

कानिस्टेबल सामान्य

क्र. सं.	रोल नं.	नाम अभ्यर्थी (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि	लिंग	जाति वर्ग	चयनित वर्ग	समग्र वरियता क्रमांक	शिक्षा	स्थाई पता	बेल्ट नं.
1.	310153849	PRAYAS KHARADI	NANURAM KHARADI	11-11-2001	MALE	S.T	ST-15	20	12वीं	मउडी फला उपला माण्डवा पोस्ट–निचला माण्डवा तहसील ऋषभदेव जिला–उदयपुर	215
2.	310159983	KULDEEP SINGH CHOUHAN	LAL SINGH CHOUHAN	29-07-2002	MALE	GENERAL	GEN-6	22	12वीं	मुकाम पोस्ट भेखरेड, तहसील–साबला, जिला–डूंगरपुर।	209
3.	310055219	RENUKA KUMARI MEENA	SHANKAR LAL MEENA	20-12-1995	FEMALE	S.T	ST-F-1	27	12वीं	मुकाम बोरीकुआं पोस्ट टीडी तहसील बारापाल जिला–उदयपुर।	336
4.	310156591	BHARAT SINGH DAMOR	GHEVUSINGH DAMOR	15-11-1998	MALE	S.T	ST-17	28	12वीं	मुकाम भरतपुरा पोस्ट रूपगढ तहसील कुशलगढ़ जिला–बांसवाडा।	338
5.	310011643	GOVIND KUMAR MEENA	SURAJ MAL	20-12-1997	MALE	S.T	ST-32	48	12वीं	मुकाम पोस्ट ढेलाणा तहसील ऋषभदेव जिला–उदयपुर।	569
6.	310061390	PAYAL KUMARI BHEEL	ARJUN LAL	15-03-2000	FEMALE	S.T	ST-F-2	49	12वीं	मुकाम गतराली पोस्ट हर्षावाडा तहसील नयागांव जिला उदयपुर।	570

उक्त कानि. रिक्रुट पर निम्नलिखित शर्तें लागू होगी :–

1. परिवीक्षाकाल दो वर्ष पूर्ण करने एवं प्रारम्भिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात् से नियमित वेतन देय होगा। परिवीक्षाकाल अवधि में वेतनवृद्धि नहीं दी जावेंगी।
2. राज्य सरकार का परिपत्र आदेश क्रमांक प–7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट/जयपुर दिनांक 13.08.2004 की अनुपालना में किसी भी अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने पर वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
3. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ–15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 शेड्यूल 4 में नियम 16 के अनुसार 2 वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि में रूपये 14600/–नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनेशन) देय होगा।

4. नव नियुक्त अभ्यर्थी की परिवीक्षाकाल अवधि 2 वर्ष रखी गई हैं, परिवीक्षाकाल की अवधि पूर्ण होने पर इनकी सेवाओं की समीक्षा की जायेगी तथा सेवाएं संतोषप्रद नही पाये जाने पर इनका सेवाकाल सक्षम अधिकारी (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा बढाया जावेगा। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पाया जाने एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर इनका स्थाईकरण किया जाकर वेतन निर्धारण वित्तीय (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार कानि. की पे मेट्रिक्स लेवल–5 में वेतन 20800/–रूपये देय एवं अन्य भत्ता स्वीकृत किया जावेगा।
5. राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 12 (3)एफ.डी./रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है, जो नियमानुसार प्रभावी होगी।
6. परिवीक्षा अवधि में कर्मचारी की सेवा में किसी प्रकार का अवकाश (अवकाश लेखे में) जमा नही किया जावेगा परन्तु महिला कर्मचारियों को आर.एस.आर. नियम 103 एवं 104 के तहत प्रसूति अवकाश देय होगा।
7. एक वर्ष की अवधि में इन्हें 15 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा परन्तु सेवा अवधि में एक वर्ष से कम होने पर अनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
8. कर्मचारियों के भुगतान से परिवीक्षाकाल में राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती नही की जावेगी ।
9. नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देने हेतु इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा ।
10. उपरोक्त सेवाएं अस्थाई होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय पर समाप्त की जा सकती हैं ।
11. फिक्स–पे राज्य सेवा में उपस्थिति/पदभार सम्भालनें की तिथि से ही देय होगी ।
12. नव नियुक्त अभ्यर्थी आदेश में अंकित तिथि तक अपनी उपस्थिति नियत स्थान पर आवश्यक रूप से देंगे।
13. अभ्यर्थी राजस्थान सेवा नियमों के नियम 22 ए (1) के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के दो वर्ष में त्याग पत्र देता है या अन्य स्थान पर नियोजन हेतु पद त्याग करता हैं तो वह प्रशिक्षणकाल में प्राप्त हुई धनराशि एवं सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किये गये व्यय की राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी, तथा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में बन्ध पत्र (बॉण्ड) प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने इस नियुक्ति से पूर्व अन्य विभाग में नियुक्ति हेतु आवेदन किया हुआ हैं। तो अभ्यर्थी ड्यूटी ज्योईन करने से 01 माह की अवधि में आवेदन के सबंधं में सूचना इस कार्यालय में देंगे। सूचना नहीं देने पर अभ्यर्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
14. अभ्यर्थी के प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के सम्बन्ध में प्रचलित नियम/परिपत्र लागू होंगे।
15. प्रशिक्षणकाल के दौरान इन्हें अग्रिम अध्ययन/प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नही की जावेगी।
16. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत उच्च शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन के पश्चात् ही सेवा अभिलेख में इन्द्राज की जावेगी। तब तक शैक्षणिक योग्यता तदर्थ आधार पर मानी जावेगी।
17. समस्त अभ्यर्थी एस.बी.आई. बैंक से खाता खुलवाकर बैंक डायरी की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रभारी, लेखा शाखा को प्रस्तुत करेंगे।
18. नव नियुक्त अभ्यर्थी एम.बी.सी. लाईन, खेरवाडा में उपस्थिति के समय आवश्यक वर्दी साजो–सामान, 05 पासपोर्ट साईज फोटो, मय मैस एडवान्स राशि 3000/– एवं नियमानुसार कार्मिक कल्याण न्यास सदस्यता राशि 3000/– रूपये सहित उपस्थिति देंगे एवं उपस्थिति के समय रूपये 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प बॉण्ड (इकरारनामा) भरकर प्रस्तुत करेंगे। जिसमें विभाग में प्रशिक्षण अवधि समाप्ति की दिनांक से 02 वर्ष की सेवा करना अनिवार्य होने तथा प्रशिक्षण के दौरान सेवा से त्याग पत्र देना अथवा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण खर्च की राशि के अतिरिक्त प्राप्त किये गये वेतन को राजकोष में जमा कराने बाबत् सहमति (अण्डरटेकिंग) मय 02 गवाह के हस्ताक्षर अंकित होंगे।

19. आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण सत्यापित पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे। यदि गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासित करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जावेंगी ।

आदेश पंजिका बद्व हों ।

ई.ओ.बी. संख्या :– 16
दिनांक :– 09-01-2026

(निरंजन चारण)
कमाण्डेन्ट,
मेवाड भील कोर, खेरवाडा

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड), राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्र क्रमांक 73 दिनांक 06.01.2026 के सन्दर्भ में सूचना सादर प्रेषित हैं।
2. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (प्रशिक्षण) राजस्थान जयपुर ।
4. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, (मुख्यालय) राजस्थान जयपुर ।
5. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, आर.ए.सी, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस, उदयपुर रेंज उदयपुर (अध्यक्ष चयन बोर्ड)।
7. श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान जयपुर।
8. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राज. जयपुर (मनोनित सदस्य)।
9. डिप्टी कमाण्डेन्ट, एम.बी.सी. खेरवाडा।
10. सहायक कमाण्डेन्ट, एम.बी.सी. खेरवाडा।
11. सुबेदार एडज्युटेन्ट, एम.बी.सी. लाईन, खेरवाडा पास भेजकर लेख हैं कि नव नियुक्त कानि. गणों के उपस्थित होने पर उपरोक्तानुसार 5 पासपोर्ट साईज के फोटो तथा ड्युटी ज्वाईन करते समय उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्राप्त कर आमद की रिपोर्ट इस कार्यालय को अवगत करावें ।
12. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा।
13. प्रभारी, लेखा/गोपनीय/विविध शाखा कार्यालय हाजा ।
14. प्रभारी, बटालियन स्टोर/कोत भण्डार/के.पी.के.बी. एम.बी.सी. लाईन, खेरवाडा ।
15. आदेश/निजी पत्रावली ।
16. संबंधित अभ्यर्थी गणों (कानि. सामान्य) को सूचनार्थ।

कमाण्डेन्ट,
मेवाड भील कोर, खेरवाडा